



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267885  
CG-DL-E-21112025-267885

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5146]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5146]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2025

का.आ. 5322(अ).—केन्द्रीय सरकार मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 नवम्बर, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त संहिता के निम्नलिखित उपवधि प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:

क्र. सं.	संहिता के उपवधि
1.	धारा 1 से 41;
2.	धारा 42 की उप-धारा (4) से (9);
3.	धारा 43 से 66;
4.	धारा 67 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) से (द) और (प) से (यग) और उप-धारा (3) से (5)
5.	धारा 68;
6.	धारा 69, तारीख 18 दिसम्बर, 2020 के का.आ. 4604 (अ) के क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित संहिता के उपवधियों के सिवाय;

[फा. सं. एम-32022/1/2025-डब्ल्यू-सी]

आलोक मिश्रा संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2025

**S.O. 5322(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), the Central Government hereby appoints the 21<sup>st</sup> day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Code, shall come into force, namely: -

Sl. No.	Provisions of the Code
1.	sections 1 to 41;
2.	sub-sections (4) to (9) of section 42;
3.	sections 43 to 66;
4.	sub-section (1) and clauses (a) to (r) and (u) to (zc) of sub-section (2) and sub-sections (3) to (5) of section 67;
5.	section 68;
6.	section 69, except the provisions of the Code mentioned at serial number 3 of S.O. 4604 (E), dated the 18 <sup>th</sup> December, 2020.

[F.No.S-32022/1/2025-WC]

ALOK MISHRA, Jt. Secy.